

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                                          | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                        | आश्वासन का रूप                                                                                 | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                              | (4)                                                                                            | (5)                         | (6)                       |
| <b>382</b>      | तारांकित प्रश्न सं.12<br>(प्रश्न क्रं.1903)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)                | कटनी जिले के प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री रविकांत दुबे के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाना।                                                                                         | शिकायतों की जाँच प्रचलन में हैं।                                                               |                             |                           |
| <b>383</b>      | तारांकित प्रश्न सं.18<br>(प्रश्न क्रं.655)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री रामपाल सिंह)                          | (1) रायसेन जिले में किसानों के खाद्यान्न क्रय एवं भण्डारण में अंतर की जांच पूर्ण की जाना।<br>(2) खाद्यान्न क्रय मात्रा एवं उपार्जन एजेंसी में भण्डारित मात्रा के मिलान का कार्य पूर्ण किया जाना। | (1) कार्यवाही की जा रही है।<br>(2) कार्य प्रगति पर है मिलान उपरांत स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।     |                             |                           |
| <b>384</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.87<br>(प्रश्न क्रं.2484)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल) | न्यायालय कलेक्टर, कटनी द्वारा पत्र क्र. 379/खाद्य/बी-121/17-18, दिनांक 29.10.2019 केरोसिन का अवैध भण्डारण एवं विक्रय के संबंध में कार्यवाही की जाना।                                             | प्रकरण प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलित है। |                             |                           |
| <b>385</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.109<br>(प्रश्न क्रं.2661)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)   | विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में हुई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही की जाना।                                                                                 | प्रकरणों में अर्धन्यायिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जा रही है।                              |                             |                           |
| <b>386</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.5<br>(प्रश्न क्रं.453)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री संजय सत्येन्द्र पाठक)                 | कटनी के शेष रहे कृषकों को गेहूं के समर्थन मूल्य राशि का भुगतान किया जाना।                                                                                                                        | प्रकरण के निराकरण उपरांत न्यायालय आदेशानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।                     |                             |                           |

| (1)        | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                            | (4)                                                                                         | (5) | (6) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>387</b> | अतारांकित प्रश्न सं.12<br>(प्रश्न क्रं.987)<br>दि. 17-07-2019<br>(डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)          | रतलाम जिले के जावरा नगर स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र अंतर्गत फर्जी राशन कार्डों की जांच की जाना।                                                                                                                                                  | प्रकरण पुलिस द्वारा विवेचनाधीन है।                                                          |     |     |
| <b>388</b> | अतारांकित प्रश्न सं.69<br>(प्रश्न क्रं.2207)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल) | कटनी जिले में खाद्यान्न और दलहन का उपार्जन और भण्डारण के केन्द्रों की निगरानी रखना तथा अमानक/खराब खाद्यान्न के प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।                                                                     | उपार्जन नीति के तहत नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश पारित कर निर्देशित किया गया है। |     |     |
| <b>389</b> | अतारांकित प्रश्न सं.71<br>(प्रश्न क्रं.2227)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री इन्दर सिंह परमार)         | जिला शाजापुर में समर्थन मूल्य से क्रय की गई उपज का शेष रहे कृषकों को भुगतान किया जाना।                                                                                                                                                         | भुगतान की प्रक्रिया प्रचलित है।                                                             |     |     |
| <b>390</b> | अतारांकित प्रश्न सं.96<br>(प्रश्न क्रं.2469)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री जालम सिंह पटेल)           | जिला नरसिंहपुर निवासी करहैया (मुर्गाखेड़ा) के श्री प्रभूदयाल पिता कमल सिंह लोधी एवं श्री कालीचरण लोधी, पिता कमल सिंह लोधी द्वारा खाद्यान्न वितरण में हुई अनियमितता के संबंध में की गई शिकायत की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | जाँच दल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।              |     |     |
| <b>391</b> | अतारांकित प्रश्न सं.99<br>(प्रश्न क्रं.2478)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री महेश परमार)               | उज्जैन जिले शेष रहे 114 ग्रामों में नवीन उचित मूल्य की दुकानें शीघ्र खोले जाना।                                                                                                                                                                | वर्तमान में शेष ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान खोले जाने की कार्यवाही की जा रही है।          |     |     |
| <b>392</b> | अतारांकित प्रश्न सं.114<br>(प्रश्न क्रं.2593)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री हरदीपसिंह डंग)           | मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण सामग्री की जांच का पैमाना, मात्रा आदि के निर्धारण के संबंध में।                                                                                                                            | इस संबंध में तकनीकी व्यवस्था किया जाना विचाराधीन है।                                        |     |     |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

गृह विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक<br>दिनांक / सदस्य का नाम                    | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                          | आश्वासन का रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | शासन द्वारा<br>की गई<br>कार्यवाही | आश्वासन<br>की पूर्ति<br>की तिथि |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>393</b>      | ध्यानाकर्षण<br>(सूचना क्रं.512)<br>दि. 17-07-2019<br>(डॉ. नरोत्तम मिश्र) | दतिया जिले में लूट एवं हत्या के अपराधी न पकड़े जाने के दोषी टी.आई.<br>के खिलाफ कार्यवाही की जाना । | <p>(1) तथ्यों के आधार पर हम सख्त कार्यवाही उस टीआई के खिलाफ करेंगे ।</p> <p>(2) अगर यह तथ्यों पर आधारित है तो निश्चित उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और जिस तरह से बताया गया है कि टीआई ने कोई प्रेस-कांफ्रेंस की है, हम उसकी जानकारी ले लें, हम उसकी तहकीकात कर लें, और निश्चित हम उस टीआई के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।</p> <p>(3) <b>माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश :-</b> गृह मंत्री जी, ऐसी घटना दोबारा न हो पाये, उसके पहले जांच हो जायेगी ?</p> <p>(4) <b>माननीय मंत्री जी :-</b> माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का अक्षरशः हम पालन करेंगे । उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है ।</p> <p>(5) निश्चित हम कार्यवाही करेंगे । आज ही हम जांच कराएंगे और इसमें जो भी शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे ।</p> |                                   |                                 |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक<br>दिनांक / सदस्य का नाम                                              | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                                                                                                                       | आश्वासन का रूप                                                                                                                                                                                           | शासन द्वारा<br>की गई<br>कार्यवाही | आश्वासन<br>की पूर्ति<br>की तिथि |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1)             | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                                      | (5)                               | (6)                             |
| <b>394</b>      | तारांकित प्रश्न सं.4<br>(प्रश्न क्रं.961)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री हर्ष विजय गेहलोत)             | (1) निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटे में चयनित किये गये वर्ष 2009 से 2013 तक के नाम, पिता का नाम, पता, पी.एम.टी. परीक्षा में प्राप्तांक तथा रैंक आदि की सूची तथा उक्त चयन की जांच के संबंध में।<br><br>(2) चिकित्सा महाविद्यालय में चयनित फर्जी अभ्यर्थियों की जानकारी एकत्रित की जाना। | (1) जानकारी वृहद स्वरूप की होने के कारण निजी संस्थाओं से जानकारी एकत्रित की जा रही है।<br><br>(2) चिकित्सा महाविद्यालयों में चयनित 721 फर्जी अभ्यर्थियों की जानकारी ए.एफ.आर.सी. से प्राप्त की जा रही है। |                                   |                                 |
| <b>395</b>      | तारांकित प्रश्न सं.16<br>(प्रश्न क्रं.594)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री महेन्द्र हार्डिया)           | इंदौर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. लिस्ट में वृद्धि की जाना।                                                                                                                                                                                                            | (1) प्रस्ताव भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है।<br><br>(2) प्रयास जारी है।                                                                                    |                                   |                                 |
| <b>396</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.7<br>(प्रश्न क्रं.596)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री महेन्द्र हार्डिया) | इंदौर के महाराज यशवंतराव चिकित्सा महाविद्यालय में आटोमेटिक गैस पाइप लाइन लगाया जाना।                                                                                                                                                                                                            | कार्यवाही प्रचलन में हैं।                                                                                                                                                                                |                                   |                                 |
| <b>397</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.123<br>(प्रश्न क्रं.2755)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री हरिशंकर खटीक)   | टीकमगढ़ जिले के गरीब वर्ग के कल्याण हेतु मेडिकल कॉलेज खोला जाना।                                                                                                                                                                                                                                | 02 एकलव्य मेडिकल कॉलेज आदिवासी बहुल जिले में स्थापित करने की योजना प्रक्रियाधीन।                                                                                                                         |                                   |                                 |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पर्यावरण विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक<br>दिनांक / सदस्य का नाम                     | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                  | आश्वासन का रूप                                                                                                                                            | शासन द्वारा<br>की गई<br>कार्यवाही | आश्वासन<br>की पूर्ति<br>की तिथि |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>398</b>      | मांग संख्या<br>(क्रमांक 71)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री बहादुर सिंह चौहान) | नागदा ग्रेसिम एवं लेक्सस उद्योग (जर्मनी) द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी के संबंध में कार्यवाही की जाना। | सबसे पहले मंत्री बनने के बाद मैंने नोटिस दिया, सख्त कार्यवाही की, टाईम बाउण्ड प्रोग्राम लिया और वह संयंत्र अब वहां बन रहा है वह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। |                                   |                                 |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                                | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                                    | आश्वासन का रूप                                                                                                                 | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>399</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.55<br>(प्रश्न क्रं.2070)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री केदारनाथ शुक्ल) | रीवा संभाग में महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया जाना।                                                         | कार्यवाही प्रचलन में है।                                                                                                       |                             |                           |
| <b>400</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.80<br>(प्रश्न क्रं.2332)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा) | होशंगाबाद जिले के विधान सभा क्षेत्र सिवनी मालवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।                  | कार्यवाही प्रचलन में है।                                                                                                       |                             |                           |
| <b>401</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.126<br>(प्रश्न क्रं.2663)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)   | जिला अनूपपुर के विधान सभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में दी जाने वाली सुविधाओं में की गई अनियमितता की जांच की जाना। | विगत 02 वर्षों में विभिन्न जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में की जाँच, पाई गई अनियमिततायें।                   |                             |                           |
| <b>402</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.131<br>(प्रश्न क्रं.2693)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राम लल्लू वैश्य)         | सिंगरौली जिले में न्याय किशोर बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को मानदेय का भुगतान किया जाना।                                           | वर्ष 2019 लेखानुदान प्रावधान की शेष 20 प्रतिशत बजट राशि के विमुक्ति प्रस्ताव पर वित्त विभाग से स्वीकृति पश्चात् किया जा सकेगा। |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                                       | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                        | आश्वासन का रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 403             | ध्यानाकर्षण<br>(सूचना क्र.315)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री कुणाल चौधरी,श्री संजीव सिंह,श्री विनय सक्सेना) | बैतूल जिले सहित प्रदेश में पौधरोपण कार्य में अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना। | <p>(1) हम इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच करवा लेंगे। जो माननीय सदस्य इसमें शामिल होना चाहते हैं वे शामिल हो सकते हैं। जिनके भी पास ऐसी कोई तथ्यात्मक जानकारी है, जिससे यह साबित हो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया वे हमें जानकारी उपलब्ध करवायें तो हम उसकी जांच अवश्य करवायेंगे।</p> <p>(2) उसमें उन्होंने जो गड़बड़ियां पायी हैं, उस पर कार्यवाही हो रही है और अगर आप अभी कुछ और नई जानकारी दे रहे हैं तो हम उसकी भी जांच करा लेंगे।</p> <p>(3) अगर किसी और अन्य सदस्य के पास किसी विभाग से संबंधित, जिस विभाग ने अगर पैसा खर्च किया है, यदि उसकी शिकायत है तो वह हमको दे दे तो हम उसकी जांच करायेंगे और अच्छे से जांच करा लेंगे, आपको साथ में लेकर जांच करा लेंगे।</p> <p>(4) <b>माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश :-</b> कृपया आप चारों मंत्री इस विषय पर बैठकर स्वयं निर्णय लें कि कैसी जांच करवानी है।</p> <p>(5) <b>माननीय मंत्री जी :-</b> आपने जो व्यवस्था दी है उसका सम्मान करते हुए हम लोग आपस में चर्चा करके इसमें जो उचित होगी, वह जरूर करेंगे।</p> <p>(6) मेरा पूरा प्रयास रहेगा, साथ ही तीन मंत्रियों के साथ मिलकर साढ़े सात करोड़ गड्डे गिनकर एक महीने के अंदर जानकारी दे दूंगा।</p> <p>(7) संबंधित तीनों मंत्रीगण के साथ मैं स्वयं शामिल होकर इस पूरे मामले की जांच करेंगे।</p> <p>(8) नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और वे जो चाहते हैं उसकी जांच हम जरूर कराएंगे।</p> <p>(9) इसकी जांच पुनः वापस की जा रही है, इसमें जो भी शामिल है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।</p> |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

राजस्व विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                                 | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                     | आश्वासन का रूप                                                                                                                            | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)             | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                           | (4)                                                                                                                                       | (5)                         | (6)                       |
| 404             | तारांकित प्रश्न सं.21<br>(प्रश्न क्र.2345)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री दिलीप सिंह गुर्जर)           | उज्जैन जिले के अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद द्वारा प्रकरण क्र. 24/बी-121/2011-12 एवं 25 बी-121/2011-12 अवैध कॉलोनी काटने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।                | (1) अर्थदण्ड राशि वसूली की कार्यवाही प्रचलित है।<br>(2) अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी खाचरौद के कार्यालय में प्रचलित है। |                             |                           |
| 405             | तारांकित प्रश्न सं.23<br>(प्रश्न क्र.2003)<br>दि. 17-07-2019<br>(डॉ. नरोत्तम मिश्र)                | मध्यप्रदेश के किसानों को किसान सम्मान राशि का भुगतान किया जाना।                                                                                                               | पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र किसानों को भुगतान की कार्यवाही सतत प्रचलित है।                                                               |                             |                           |
| 406             | तारांकित प्रश्न सं.24<br>(प्रश्न क्र.2349)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री बहादुर सिंह चौहान)           | नागदा जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्र की महिदपुर व झारडा को तहसील में शामिल किया जाना।                                                                                      | यथासमय इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में सर्व संबंधितों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर वैधानिक निर्णय लिया जायेगा।               |                             |                           |
| 407             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.11<br>(प्रश्न क्र.878)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री ठाकुर दास नागवंशी) | प्रदेश के किसानों को लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाना।                                                                                   | (1) निर्देश जारी कर पात्रता परीक्षण की कार्यवाही सतत जारी है।<br>(2) भुगतान की कार्यवाही सतत की जा रही है।                                |                             |                           |
| 408             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.12<br>(प्रश्न क्र.929)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्रीमती नंदनी मरावी)    | जिला जबलपुर अंतर्गत नगर पालिका के अधीन अरूणाधाम घोष स्टेडियम के विस्तारीकरण के अंतर्गत लगभग 75 प्रभावित परिवारों का व्यवस्थापन किया जाना।                                     | व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है।                                                                                                       |                             |                           |
| 409             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.13<br>(प्रश्न क्र.983)<br>दि. 17-07-2019<br>(डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)  | (1) रतलाम एवं जावरा नगर की सीमा से लगी शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्यवाही।<br>(2) शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के अर्थदण्ड को राशि की वसूली की जाना। | शेष 18 प्रकरण विचाराधीन होकर कार्यवाही प्रचलित है।                                                                                        |                             |                           |



| (1) | (2)                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (4)                                                                                                                   | (5) | (6) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 410 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.16<br>(प्रश्न क्रं.1138)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह) | विदिशा जिले के शमशाबाद विधान सभा क्षेत्र के लटेरन एवं विदिशा विकास खण्ड अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लंबित हुये जाति प्रमाण पत्र दिया जाना।                                                                                                                                         | अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा नियमानुसार बनाए जा रहे हैं।           |     |     |
| 411 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.22<br>(प्रश्न क्रं.1190)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री कुँवरजी कोठार)                | जिला राजगढ़ के अनुविभाग सारंगपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 03 पर निर्माणाधीन मार्ग में पानी की निकासी की समस्या का निराकरण किया जाना।                                                                                                                                                | NHAI 1 से चर्चा कर समस्या का समाधान किया जाने का प्रयास किया जावेगा।                                                  |     |     |
| 412 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.23<br>(प्रश्न क्रं.1210)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री संजय शर्मा)                   | (1) तेंदूखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत - लिंगा के ग्राम - खामघाट की शासकीय भूमि पर शुगर मिल के निर्माण के लिए त्रुटिपूर्ण जानकारी दिये जाने वाले दोषियों के प्रकरण की जांच।<br>(2) शासकीय भूमि पर शुगर मिल के निर्माण के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | (1) जाँच की जा रही है।<br>(2) जाँच उपरांत यदि अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये जाते हैं, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। |     |     |
| 413 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.24<br>(प्रश्न क्रं.1241)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री महेश परमार)                   | मध्यप्रदेश में भूखण्ड अधिकार अभियान के अंतर्गत चिन्हित भूमिहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया जाना।                                                                                                                                                                                       | प्रचलित नियम/विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है।                                                                      |     |     |
| 414 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.30<br>(प्रश्न क्रं.1373)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री गिरीश गौतम)                   | रीवा जिले के सभी तहसीलों में सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया जाना।                                                                                                                                                                                                                        | विशेष टीम गठित कर प्रतिदिन सीमांकन की कार्यवाही की जा रही है।                                                         |     |     |
| 415 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33<br>(प्रश्न क्रं.1496)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राजेश कुमार प्रजापति)         | (1) छतरपुर जिले के गौरिहार तहसील जुझार नगर के ग्राम प्रकाश बम्हौरी की शासकीय पट्टे की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्लेशर संचालकों द्वारा विक्रय किये जाने के प्रकरण की जांच पूर्ण की जाना।<br>(2) जांच में पाये गये दोषियों पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाना।                | (1) जांच प्रारंभ की गई है।<br>(2) जांच प्रारंभ की गई है। दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।             |     |     |

| (1) | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 416 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.42<br>(प्रश्न क्रं.1838)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री महेश राय)                          | टीकमगढ़ जिले के तहसील ओरछा को ग्राम ओरछा स्थित खसरा नं. 455 शासकीय भूमि का अंश रकबा 1.113 हेक्टेयर का श्री केदार शर्मा, तत्कालीन कलेक्टर द्वारा भूमि की अदला-बदली के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | (1) कार्यवाही प्रचलित है।<br>(2) कार्यवाही प्रचलित है।                             |     |     |
| 417 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50<br>(प्रश्न क्रं.1948)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री गोपाल भार्गव)                      | मध्यप्रदेश के प्राकृतिक आपदा पाले से प्रभावित किसानों को राहत राशि का भुगतान किया जाना।                                                                                                         | भुगतान की प्रक्रिया प्रचलित है।                                                    |     |     |
| 418 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.54<br>(प्रश्न क्रं.2068)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री विष्णु खत्री)                      | भोपाल संभाग के जिलों एवं बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में गौचर, तालाब, शमशान व कब्रिस्तान की भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना।                                                         | अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सतत प्रक्रिया है।                                      |     |     |
| 419 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.65<br>(प्रश्न क्रं.2197)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव) | बदनावर विधान सभा क्षेत्र के माननीय श्री भंवरसिंह शेखावत द्वारा आवंटन की प्रत्याशा में शासकीय आवास पर किये गये अतिक्रमण हटाया जाना।                                                              | गृह विभाग द्वारा निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।                        |     |     |
| 420 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.77<br>(प्रश्न क्रं.2420)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री रामेश्वर शर्मा)                    | भोपाल के संत हिरदाराम नगर से जुड़ी मर्जर समस्या का निराकरण किया जाना।                                                                                                                           | दस्तावेजों तथा रजिस्ट्री/रजिस्टर्ड दान-पत्र आदि के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। |     |     |
| 421 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.79<br>(प्रश्न क्रं.2449)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री उमाकांत शर्मा)                     | प्रदेश के भूमि नामांतरण, बटवारा एवं सीमांकन आदि लंबित प्रकरणों का निरीक्षण किया जाना।                                                                                                           | (1) समय-सीमा में अमल कराया जा रहा है।<br>(2) विधिवत सुनवाई प्रचलित है।             |     |     |

| (1) | (2)                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                                                                                                                                                                                                                        | (5) | (6) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 422 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.99<br>(प्रश्न क्र.2599)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राकेश गिरि)                | टीकमगढ़ जिले की गोचर भूमि के बेजा-कब्जे हटाया जाना ।                                                                                                                                                                                                    | कार्यवाही राजस्व न्यायालय में प्रचलित है ।                                                                                                                                                                                 |     |     |
| 423 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.102<br>(प्रश्न क्र.2610)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री गोपाल भार्गव)             | प्रदेश के किसानों को "किसान सम्मान निधि" राशि दिया जाना ।                                                                                                                                                                                               | कृषकों के बैंक खाते एकत्रित करने का कार्य प्रगतिरत है ।                                                                                                                                                                    |     |     |
| 424 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.112<br>(प्रश्न क्र.2679)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा) | (1) रीवा जिले के तहसील गुठ ग्राम दुआरी की भूमि का कम्प्यूटर द्वारा नामांतरण की त्रुटी के कारण का निराकरण किया जाना ।<br>(2) न्यायालय कलेक्टर रीवा में प्रकरण क्र.69/अ6/स्व.निगरानी/2018-19 के तहत प्रकरण के निराकरण हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही । | (1) अपील किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।<br>(2) प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं होने से जांचोंपरान्त प्रकरण में स्वमेंव निगरानी में लिया जाकर न्यायालयीन विधि एवं प्रक्रिया अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित है। |     |     |
| 425 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.115<br>(प्रश्न क्र.2706)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री के.पी. त्रिपाठी)          | रीवा जिले के समेरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासियों को जमीन के पट्टे का आवंटन किया जाना ।                                                                                                                                                         | सर्वेक्षण उपरांत पट्टाविहीन आदिवासियों को नियमानुसार आवास/जमीन का पट्टा आवंटित करा दिया जाएगा ।                                                                                                                            |     |     |
| 426 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.117<br>(प्रश्न क्र.2708)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री बहादुर सिंह चौहान)        | (1) महिदपुर रोड के प्रकरण में कुर्की संबंधी कार्यवाही की जाना ।<br>(2) महिदपुर रोड के प्रकरण में कुर्की उपरांत राशि वसूल किया जाना ।                                                                                                                    | (1) प्रकरण विधि के अनुसार प्रचलन में है ।<br>(2) प्रकरण में नियमानुसार राशि वसूल की जावेगी ।                                                                                                                               |     |     |
| 427 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.118<br>(प्रश्न क्र.2710)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री नारायण त्रिपाठी)          | सतना जिले के रघुराजनगर की शासकीय जमीनों के निजी स्वत्व में भरने वाले पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।                                                                             | विभागीय कार्यवाही अंतर्गत निलंबित पटवारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गयी है। निष्कर्ष के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।                                                                                             |     |     |

| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                        | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 428 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.119<br>(प्रश्न क्र.2711)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री नारायण त्रिपाठी) | सतना जिले के रघुराजनगर की खरबों रूपयों की शासकीय जमीन को खुरद-बुर्द करने वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।                                            | शासकीय भूमि खुरद-बुर्द करने के संबंध में जाँच निष्कर्ष पर कार्यवाही की जावेगी।                                                                                                                             |     |     |
| 429 | अतारांकित प्रश्न सं.19<br>(प्रश्न क्र.1503)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राजेश कुमार प्रजापति)       | जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत ग्राम बघाई तहसील खरगापुर में बटन की भूमि को (फर्जी तरीके से) बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के विक्रय किये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | उक्त संबंध में विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। जाँच उपरांत यदि कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।                                                                                       |     |     |
| 430 | अतारांकित प्रश्न सं.30<br>(प्रश्न क्र.1618)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)        | मंदसौर, रतलाम जिले के किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि का पंजीयन कर राशि भुगतान कराया जाना।                                                                                    | पात्रता परीक्षण हेतु सतत कार्यवाही प्रचलित है।                                                                                                                                                             |     |     |
| 431 | अतारांकित प्रश्न सं.33<br>(प्रश्न क्र.1658)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री मनोहर ऊंटवाल)               | भोपाल जिले के कोलार रोड स्थित राजहर्ष कॉलोनी विक्टोरिया कॉलेज के पास स्थित शासकीय भूमि का यथावश्यक यथोचित उपयोग किया जाना।                                                         | उक्त भूमि का यथावश्यक यथोचित उपयोग किया जायेगा।                                                                                                                                                            |     |     |
| 432 | अतारांकित प्रश्न सं.35<br>(प्रश्न क्र.1744)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री नारायण त्रिपाठी)            | सतना जिले की भूमि के हेराफेरी के संबंध में दोषी पटवारियों/तहसीलदारों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाना।                                                                          | यथोचित कार्यवाही की जावेगी।                                                                                                                                                                                |     |     |
| 433 | अतारांकित प्रश्न सं.36<br>(प्रश्न क्र.1745)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री नारायण त्रिपाठी)            | रीवा जिले के रघुराजनगर की सरकारी जमीन को खुरद-बुर्द कर विक्रय किये जाने की जाँच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना।                                                                  | आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा गठित जाँच दल द्वारा भी उक्त विषयांकित प्रकरण की जाँच की जा चुकी है। जाँच में निर्णय अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।                                                  |     |     |
| 434 | अतारांकित प्रश्न सं.40<br>(प्रश्न क्र.1829)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राकेश गिरि)                 | टीकमगढ़ जिले की गौचर भूमि पर अवैध कब्जा हटाया जाना।                                                                                                                                | टीकमगढ़ जिले की तहसील खरगापुर में वर्ष 2019-20 गौचर भूमि रकबा 6.548 हे. पर कब्जा किया गया है तथा इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु व्यक्तिवार प्रकरण दर्ज किये जाकर न्यायालयीन कार्यवाही प्रचलन में है। |     |     |
| 435 | अतारांकित प्रश्न सं.47<br>(प्रश्न क्र.1909)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय)       | जिला कटनी तहसील बोहरीबंद ग्राम निमास की शासकीय भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाना।                                                                                          | खसरा नंबर के स्वामित्व एवं मूल स्वरूप में समय-समय पर किये गये परिवर्तनों की जाँच की जाकर जाँच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जावेगी।                                                                        |     |     |

| (1) | (2)                                                                                         | (3)                                                                                                                                | (4)                                                                                                                            | (5) | (6) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 436 | अतारांकित प्रश्न सं.48<br>(प्रश्न क्रं.1913)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री आशीष गोविंद शर्मा)  | मध्यप्रदेश के किसानों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान शीघ्र कराया जाना।                          | पात्र किसानों को भुगतान की कार्यवाही सतत् प्रचलित है।                                                                          |     |     |
| 437 | अतारांकित प्रश्न सं.88<br>(प्रश्न क्रं.2451)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री उमाकांत शर्मा)      | विदिशा जिले के समग्र ग्रामों के नक्शे बनाया जाना।                                                                                  | कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।                                                                                                     |     |     |
| 438 | अतारांकित प्रश्न सं.107<br>(प्रश्न क्रं.2499)<br>दि. 17-07-2019<br>(डॉ. हिरालाल अलावा)      | बैतूल जिले की गैर खाते की दखल रहित भूमि को पार्किंग प्लान में किये जाने के प्रकरण की जांच की जाना।                                 | इसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। सेटेलाइट इमेजिंग का उपयोग कर दोनों विभागों के नक्शों को एक साथ रखकर मिलान किया जाएगा।           |     |     |
| 439 | अतारांकित प्रश्न सं.109<br>(प्रश्न क्रं.2505)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री बीरेन्द्र रघुवंशी) | कोलारस विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कोलारस के ग्राम अमरपुर की निजी भूमि पर शासकीय भूमि में परिवर्तन के संबंध में।               | (1) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दोनों प्रकरण दो माह से प्रचलित है।<br><br>(2) प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण किया जाएगा।       |     |     |
| 440 | अतारांकित प्रश्न सं.113<br>(प्रश्न क्रं.2578)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री हरीसिंह सप्रे)     | भोपाल जिले के गौ-शालाओं हेतु भूमि का आवंटन किया जाना।                                                                              | (1) परियोजना क्रियान्वयन समिति के निर्णय हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।<br><br>(2) प्रकरणों का निराकरण नीति अनुसार किया जावेगा। |     |     |
| 441 | अतारांकित प्रश्न सं.120<br>(प्रश्न क्रं.2612)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री गोपाल भार्गव)      | विधान सभा क्षेत्र रहली जिला सागर की गढाकोटा एवं रहली तहसील में सीमांकन बटवारा एवं नामांतरण के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना। | प्रकरणों का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा।                                                                   |     |     |
| 442 | अतारांकित प्रश्न सं.124<br>(प्रश्न क्रं.2658)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री कुँवर सिंह टेकाम)  | सीधी जिले की जनपद पंचायत कुसमी के शेष रहे किसानों को जन-हानि, पशुहानि, सूखा राहत राशि आदि प्रदान किया जाना।                        | संख्या 18824 में से 64 किसान वितरण से शेष हैं। जिनको राशि वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।                                       |     |     |
| 443 | अतारांकित प्रश्न सं.127<br>(प्रश्न क्रं.2666)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री बिसाहूलाल सिंह)    | अनूपपुर जिले के अंतर्गत ग्राम फुनगा की शासकीय भूमि के अवैध कब्जे को हटाया जाना।                                                    | म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जा रही है।                                                       |     |     |

| (1) | (2)                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                            | (4)                                                                                                                                                                 | (5) | (6) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 444 | अतारांकित प्रश्न सं.129<br>(प्रश्न क्रं.2683)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री सिद्धार्थ सुखलाल<br>कुशवाहा) | (1) रीवा संभाग के राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बिक्री करने वाले दोषियों के प्रकरण की जांच कर जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जाना ।<br><br>(2) जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना । | (1) जाँच प्रतिवेदन आयुक्त रीवा के स्तर पर परीक्षणाधीन है ।<br><br>(2) जाँच प्रतिवेदन के अंतिम निष्कर्ष अनुसार कार्यवाही की जावेगी।<br><br>(3) कार्यवाही की जावेगी । |     |     |

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन

लोक निर्माण विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक<br>दिनांक / सदस्य का नाम                                  | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                 | आश्वासन का रूप                                                                                                                                                                                                                    | शासन द्वारा<br>की गई<br>कार्यवाही | आश्वासन<br>की पूर्ति<br>की तिथि |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 445             | मांग संख्या<br>(क्रमांक 24)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री गोपाल भार्गव,<br>श्री कमल पटेल) | लोक निर्माण विभाग के समस्त रिक्त पदों की पूर्ति की जाना । | हमारे विभाग में समस्त रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के द्वारा शीघ्र की जावेगी । विभाग में द्वितीय श्रेणी के लगभग 35 पद और तृतीय श्रेणी के 269 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 90 पदों पर शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी । |                                   |                                 |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                                    | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                | आश्वासन का रूप                                                                                                                    | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 446             | तारांकित प्रश्न सं.1<br>(प्रश्न क्रं.688)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री सुदेश राय)                       | विधान सभा क्षेत्र सीहोर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाना।                  | शेष 03 योजनाओं के अंतर्गत स्रोत विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है।                                                                 |                             |                           |
| 447             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.9<br>(प्रश्न क्रं.656)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री रामपाल सिंह)          | रायसेन जिले में उदयपुरा समूह जल प्रदाय योजना में पाईप लाईन बिछाने के दौरान ग्राम क्षतिग्रस्त सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य। | जी हां। लगभग 90 प्रतिशत ग्रामों में मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष लगभग 10 प्रतिशत कार्य अक्टूबर 2019 तक किया जाना लक्षित है। |                             |                           |
| 448             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20<br>(प्रश्न क्रं.1179)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री दिव्यराज सिंह)      | विधान सभा क्षेत्र सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पेयजल सुविधा प्रारंभ कराया जाना।                                     | योजना के कार्य दिनांक 01.01.2021 तक पूर्ण किये जाकर जलप्रदाय प्रारंभ किया जाना लक्षित है।                                         |                             |                           |
| 449             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25<br>(प्रश्न क्रं.1246)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री आलोक चतुर्वेदी)     | छतरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थाई निराकरण किया जाना।                | (1) वित्तीय संयोजन के उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।<br>(2) वित्तीय संयोजन उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।                           |                             |                           |
| 450             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.28<br>(प्रश्न क्रं.1307)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री जसमंत जाटव)         | शिवपुरी जिले में सफल एवं असफल ट्यूबवेल/हैंडपंप खनन किया जाना।                                                            | कार्य प्रगति पर है।                                                                                                               |                             |                           |
| 451             | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.58<br>(प्रश्न क्रं.2094)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राजेश कुमार शुक्ला) | बिजावर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नल-जल परियोजना के रख-रखाव में व्यय की गई जानकारी का ब्यौरा दिया जाना।                   | व्यय की जानकारी संबंधित जनपद पंचायतों के माध्यम से संकलित की जा रही है।                                                           |                             |                           |



| (1) | (2)                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                                                                                                          | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 452 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.66<br>(प्रश्न क्रं.2198)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव) | बदनावर विधान सभा क्षेत्र में बंद पड़ी नल-जल योजनाएं सुचारू रूप से चालू करवाया जाना।                                                                                             | योजनाओं की डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।                                                                                                                     |     |     |
| 453 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.71<br>(प्रश्न क्रं.2318)<br>दि. 17-07-2019<br>(इन्जी. प्रदीप लारिया)                   | नरयावली विधान सभा क्षेत्र की जल निगम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नल-जल योजनाएं प्रारंभ कराया जाना।                                                                                  | प्रस्तावित योजनाओं का वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।                                                                                                              |     |     |
| 454 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73<br>(प्रश्न क्रं.2330)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा)          | सिवनी मालवा में हैण्डपंप स्थापना एवं नल-जल योजनाओं का सुचारू रूप से संचालित किया जाना।                                                                                          | निर्माणाधीन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, योजना पूर्ण होने के उपरांत जलप्रदाय चालू कर दिया जावेगा।                                                                          |     |     |
| 455 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.74<br>(प्रश्न क्रं.2362)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री हरीसिंह सप्रे)                     | विधान सभा क्षेत्र कुरवाई अंतर्गत ग्राम घटवार में नल-जल योजनाओं का कार्य सुचारू रूप से कराया जाना।                                                                               | कार्य प्रगति पर है।                                                                                                                                                          |     |     |
| 456 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.75<br>(प्रश्न क्रं.2372)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी)      | भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति कराई जाना।                                                          | (1) योजना हेतु वित्तीय संयोजन प्राप्त होने पर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।<br><br>(2) योजना हेतु वित्तीय संयोजन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। |     |     |
| 457 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.81<br>(प्रश्न क्रं.2455)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री प्रेमसिंह पटेल)                    | (1) विधान सभा क्षेत्र बड़वानी में नल-जल योजनाओं का परीक्षण कार्य पूर्ण किया जाना।<br><br>(2) ग्राम पंचायत घमरिया एवं सेमली में स्वीकृत नल-जल योजनाओं का कार्य पूर्ण कराया जाना। | (1) योजनाओं के परीक्षण कार्य प्रगति पर है।<br><br>(2) गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। दोनों योजनाओं के कार्य अभी प्रगतिरत हैं।                                              |     |     |

| (1) | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                               | (4)                                                                                                              | (5) | (6) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 458 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.89<br>(प्रश्न क्र.2488)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री दिनेश राय मुनमुन) | सिवनी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जाना ।                                                     | हैण्डपंप तथा नल-जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की कार्य योजना अनुसार कार्य कराए जाएंगे ।          |     |     |
| 459 | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.111<br>(प्रश्न क्र.2665)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री बिसाहलाल सिंह)   | अनूपपुर जिले में संचालित योजनाओं की पूर्ण जानकारी दी जाना ।                                                                       | नल-जल योजनाएं संचालित, 13 योजनाएं चिन्हित हैं । 02 योजनाएं प्रगतिरत हैं ।                                        |     |     |
| 460 | अतारांकित प्रश्न सं.17<br>(प्रश्न क्र.1462)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री शरदेन्दु तिवारी)            | चुरहट विधान सभा क्षेत्र की नल-जल योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।                                | 04 योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।                                                    |     |     |
| 461 | अतारांकित प्रश्न सं.39<br>(प्रश्न क्र.1813)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राहुल सिंह लोधी)            | खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में बल्देवगढ़ एवं पलेरा ब्लॉक की संचालित नल-जल योजनाओं के उचित रख-रखाव किये जाने के संबंध में ।         | योजना का रख-रखाव किया जावेगा ।                                                                                   |     |     |
| 462 | अतारांकित प्रश्न सं.100<br>(प्रश्न क्र.2481)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री महेश परमार)                | उज्जैन संभाग के बॉटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए शॉफ्ट निर्माण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण की जाना ।        | वर्ष 2019-20 में रिचार्ज शॉफ्ट निर्माण हेतु प्राप्त लक्ष्य के अंतर्गत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है । |     |     |
| 463 | अतारांकित प्रश्न सं.108<br>(प्रश्न क्र.2500)<br>दि. 17-07-2019<br>(डॉ. हिरालाल अलावा)              | जिला श्योपुर, दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री की जगह नियमित कार्यपालन यंत्री पदस्थ किया जाना । | नियमित कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना प्रक्रियाधीन है ।                                                           |     |     |
| 464 | अतारांकित प्रश्न सं.115<br>(प्रश्न क्र.2597)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राकेश गिरि)                | टीकमगढ़ जिले में बानसुजारा बांध आधारित टीकमगढ़-बल्देवगढ़ समूह जल योजना पूर्ण कराई जाना ।                                          | योजना हेतु वित्तीय संयोजन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी ।                                          |     |     |
| 465 | अतारांकित प्रश्न सं.130<br>(प्रश्न क्र.2692)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री राम लल्लू वैश्य)           | जिला सिंगरौली में सतही नल-जल योजना हेतु वित्तीय संयोजन की कार्यवाही किया जाना ।                                                   | तकनीकी व्यवहार्यता पाये जाने पर वित्तीय संयोजन की कार्यवाही की जा सकेगी ।                                        |     |     |

| (1) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 466 | अतारांकित प्रश्न सं.133<br>(प्रश्न क्र.2736)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री सोहनलाल बाल्मीक) | (1) परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ओव्हरहेड टैंक का निर्माण किया जाना ।<br>(2) ओव्हरहेड टैंक के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति कराया जाना । | (1) वित्तीय संयोजन होने के पश्चात् म.प्र. जल निगम द्वारा प्रस्तावित कार्य कराया जायेगा ।<br>(2) वित्तीय संयोजन पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जायेगी । |  |  |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                             | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                                                                                         | आश्वासन का रूप                                                                                                                                                  | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>467</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.38<br>(प्रश्न क्रं.1598)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री संजय शुक्ला) | इंदौर जिला अंतर्गत देशी/विदेशी मदिरा भण्डागार/वृत्त में कूटरचित फर्जी चालान पेश कर करोड़ों के राजस्व की हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के प्रकरण की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना। | विभागीय जाँच आयुक्त के पास प्रकरण प्रक्रियाधीन है। विभागीय जाँच के निष्कर्षों के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण निर्णीत होगा। |                             |                           |
| <b>468</b>      | अतारांकित प्रश्न सं.22<br>(प्रश्न क्रं.1517)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री प्रदीप पटेल)           | जिला धार कलेक्टर न्यायालय के लायसेंसी के विरुद्ध प्र.क्र. 189/2019 के संबंध में कार्यवाही की जाना।                                                                                                | (1) प्रकरण क्रमांक 189/2019 पंजीबद्ध किया गया, जो वर्तमान में कलेक्टर न्यायालय धार में विचाराधीन है।<br><br>(2) वर्तमान में विचाराधीन है।                       |                             |                           |

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2019 सत्र में दिये गये आश्वासन**

संस्कृति विभाग

दिनांक: 17-07-2019

| आश्वासन क्रमांक | प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम                                            | आश्वासन का संक्षिप्त विषय                                                                                                            | आश्वासन का रूप                                                                         | शासन द्वारा की गई कार्यवाही | आश्वासन की पूर्ति की तिथि |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>469</b>      | तारांकित प्रश्न सं.7<br>(प्रश्न क्रं.2747)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री कुणाल चौधरी)            | प्रदेश के कला मंडलियों को प्रदान की जाने वाली राशि में की गई अनियमितता की जांच कराई जाना।                                            | किसी भी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच कराई जावेगी।                          |                             |                           |
| <b>470</b>      | तारांकित प्रश्न सं.14<br>(प्रश्न क्रं.1418)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री शैलेन्द्र जैन)         | सांस्कृतिक भवन निर्माण की संशोधित डी.पी.आर. भारत सरकार से स्वीकृत कराये जाने के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में। | भारत सरकार से स्वीकृति आज दिनांक तक अप्राप्त है। प्रकरण भारत सरकार में विचाराधीन है।   |                             |                           |
| <b>471</b>      | परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.26<br>(प्रश्न क्रं.1265)<br>दि. 17-07-2019<br>(श्री जसमंत जाटव) | शिवपुरी जिले के विधान सभा क्षेत्र करैरा क्षेत्रान्तर्गत शिवमंदिर नरवट को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जाना।                      | वन विभाग से वांछित अभिलेख/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। |                             |                           |